

श्रीमान् शिविर पुम्बारी एवं उपखण्ड अधिष्ठात्री महोदय
माण्डलगाढ़ शिविर-सराण

विषय :- न्यायालय में विचाराधीन उखण्ड संख्या
117/2015 को निरस्त करने के
सम्बन्ध में।

महोदय जी

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि न्यायालय
उपखण्ड अधिष्ठात्री माण्डलगाढ़ में विचाराधीन उखण्ड संख्या
117/2015 अन्तर्गत धारा 88-188 बर्ष 2015 से लाम्बित
है। उक्त वादपत्र में हम सभी पक्षकारान् द्वारा
आपसी सहमति एवं राजीनामे से समझावश कर ली है
एवं उक्त वाद को आगे नहीं चलाना चाहते हैं।

अतः महोदय जी निवेदन है कि न्यायालय
में विचाराधीन वाद में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते
हैं। इसीलिए वाद को निरस्त करने का आदेश
फरमावे।

दिनांक: 10.12.2024

वाही
गिरधारी पि. देवी रेगर
निवासी- गौवरा